जेपीआर 5–658

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302008
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – c_comml@yahoo.com

एफ1(13)Pt IV

क्र0जेपीडी / अअ / वा. / अधिअभि (वा– I) / [illegible] / प्रे0 1351 दिनांक – 03.09.2012

आदेश

राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 55 ( ) पीए / एसई / डीएलबी / 2012 / SWM / 5281 जयपुर दिनांक 25.07.2012 के द्वारा निम्न अधिसूचना जारी की गयी है।

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 45 की उपधारा (1) के खण्ड (a) व (b) में शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ठ व कूड़ा करकट इत्यादि को हटाये जाने हेतु नगर पालिकाओं के लिये बाध्यकारी कर्तव्य का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलमित्रा एच. पटेल बनाम भारत संघ एवं अन्य प्रकरण में पारित निर्देशों के क्रम में नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 की सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पूर्ण अनुपालना किया जाना अनिवार्य है। नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिदिन सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, घरों / व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ठ का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं ठोस अपशिष्ठ का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया जाना प्रमुख कार्य है। विभाग द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डल ज्ञापन क्रमांकः एफ. 55()पीए / एसई / डीएलबी / 2012 / SWM दिनांक 19 जून 2012 के क्रम में मंत्रीमण्डलीय आज्ञा सं. डी.144 / मं.मं. / 2012 जयपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2012 (144 / 2012)" द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 104 (ii) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य के लिये निम्नानुसार यूजर चार्जेज / सफाई शुल्क (User Charges) अधिरोपित / उद्ग्रहित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. उपभोक्ता प्रभार / सफाई शुल्क (user charges) विद्युत निगम राशि पर अनुलग्नक "अ" अनुसार प्रभार्य होगा।

D/joshi/JPR-

2. 'एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन' कार्य हेतु उक्त दरें जयपुर व जोधपुर शहरों (नगर निकाय क्षेत्र) के लिए विद्युत विपत्र Billing माह सितम्बर 2012 से लागू होगा।
3. कोटा, अजमेर (किशनगढ़ व पुष्कर सहित) बीकानेर व उदयपुर शहरों (नगर निकाय क्षेत्र) के लिये दरें 'एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन' कार्य के कार्यादेश जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित डिस्कॉम से चर्चा कर लागू की जायेगी।
4. अन्य जिला मुख्यालय शहरों (नगर निकाय क्षेत्र) के लिये उक्त दरें आगामी दो वर्ष की अवधि में या कार्यादेश जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी।
5. उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय होने पर अंतर राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी।
6. उक्त यूजर चार्जेज की दरें प्रत्येक दो माह के विद्युत बिल पर लागू होंगी। अगर किसी कारण से विद्युत बिल दो माह से कम या अधिक अवधि का जारी किया जाता है तो उक्त यूजर चार्जेज की राशि भी आनुपातिक रूप से परिवर्तनीय होगी।
7. उक्त प्राप्त राशि को समस्त नगर निकायों द्वारा एक पृथक खाते (Dedicated Account) में रखा जायेगा एवं इस राशि का उपयोग केवल नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य के मद में ही किया जावेगा। सम्बन्धित विद्युत वितरण कम्पनियों (DISCOM) द्वारा राशि प्राप्त होने के दो माह में सम्बन्धित नगर निकाय के Dedicated Account में जमा कराना होगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त अधिसूचनानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(एस० सी० शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

D/joshi/JPR-

Encl: JPRS-658

क्र. स.	उपभोक्ता श्रेणी	द्विमासिक बिल के आधार पर स्लेब	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु यूजर चार्जेज की दरें
1	घरेलू उपभोक्ता	अ. 1000 रूपये तक के विद्युत बिल	शून्य
		ब. राशि रूपये 1001 से रूपये 2000 तक राशि वाले विद्युत बिल	100 रूपये प्रति बिल
		स. राशि रूपये 2001 से रूपये 5000 तक राशि वाले विद्युत बिल	150 रूपये प्रति बिल
		द. राशि रूपये 5,001 से रूपये 10,000 तक राशि वाले विद्युत बिल	200 रूपये प्रति बिल
		य. राशि रूपये 10,000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल	300 रूपये प्रति बिल
2.	अघरेलू उपभोक्ता	अ. 1000 रूपये तक के विद्युत बिल	शून्य
		ब. राशि रूपये 1001 से 2,000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	100 रूपये प्रति बिल
		स. राशि रूपये 2,001 से रूपये 5,000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	200 रूपये प्रति बिल
		द. राशि रूपये 5,001 से रूपये 10,000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	300 रूपये प्रति बिल
		य. राशि रूपये 10,001 से रूपये 20,000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	500 रूपये प्रति बिल
		र. राशि रूपये 20,000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल	1000 रूपये प्रति बिल
3	औद्योगिक मय मिश्रित भार श्रेणी उपभोक्ता	अ. 1000 रूपये तक के विद्युत बिल	शून्य
		ब. राशि रूपये 1001 से रूपये 10,000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	500 रूपये प्रति बिल
		स. राशि रूपये 10,001 से 20,000 रूपये तक की राशि वाले विद्युत बिल	750 रूपये प्रति बिल
		द. राशि रूपये 20,000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल	1000 रूपये प्रति बिल

D:\DLB\Solid Waste Management\Notification.doc